-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा अपहरण के मुकदमें मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व अपहृता बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.08.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पर थाना बेहट पर सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 245/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता को सकुशल बरामद करने हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही करते अपहरणकर्ता वांछित **अभियुक्त विशाल पुत्र मेघराज सिंह नि0 मांझीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को खुर्रमपुर से कबीरपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद । मुकदमा उपरोक्त मे विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

विशाल पुत्र मेघराज सिंह नि0 मांझीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री तोताराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. म0उ0नि0 भावना थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. है0का0 695 देवेन्द्र भाटी थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

दिनांक: 01-09-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि आज दिनांक 01.09.2024 (रविवार) को जनपद सहारनपुर में नियुक्त विवेचकों के साथ विवेचनाओं के सम्बन्ध में तीन नवीन कानूनों (भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी एवं विचार विमर्श हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक अभियोजन, सहारनपुर एवं सहायक अभियोजन अधिकारी, सहारनपुर द्वारा जिला प्रशिक्षण इकाई, पुलिस लाईन सहारनपुर में गूगल मीट/वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आनलाइन/आफलाइन प्रशिक्षण / कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात व समस्त क्षेत्राधिकारी एवं जनपद के थानों पर नियुक्त समस्त विवेचकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।